


9/9/22

पञ्जाबी पेशा उमी वकील वादी अनुपस्थित
 है वादी का वाड 09R3 जारी है
 खारिज किया जा चुका है इतिहास
 का ट 1 प्राप्य का कोई औचित्य
 शेष नहीं रहे जा रहा है इतिहास
 ट 2 प्राप्य खारिज किया जाता
 है पञ्जाबी अंश अंश एम एम
 से कम है आदेश सुन
 से सुनाया गया


 उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेक

